भाग–2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद गोण्डा में बहराइच–अयोध्या–आजमगढ़ (बहराइच–गोण्डा) मार्ग एस0एच0–30 के कि0मी0–57 के मध्य दायी पटरी पर गाटा संख्या–58 ग्राम मंड़ेरवाकला तहसील व जिला गोण्डा (उ0प्र0) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के क्रम में।
	(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
	(2) जिला	गोण्डा
	(3) वन प्रभाग	गोण्डा
	(4) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0 में0)	0.210889 हे0
	(5) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
	(6) हरियाली का घनत्व	0.3
	(7) प्रजाति वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परगणना (संलग्न की जाय) सिचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में आर0एल0एफ0 आर0एल0–2 मी0 पर परगणना और एक आर0एल0–4 मी0 पर संलग्न की जाय	शून्य
	(8) भू क्षरण के लिए वन क्षेत्र की सम्बेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संवेदनशील नहीं है।
	(9) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	शून्य
	(10) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण, जैव मंडल रिजर्व, बाघ, रिजर्व हाथी कोरी डोर आदि का भाग है। यादि हॉ तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियॉ अनुबन्धित की जाय।	नहीं
	(11) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जगत की दुर्लभ/संकटापन/विशिष्ट प्रजातियॉ पायी जाती है यदि हॉ तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	न्हीं
	(12) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थ्ल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण –पत्र के साथ अपेक्षित हो दें।	नहीं
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नही तो जॉचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	हॉ
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है/नहीं/यदि हॉ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लघन सम्बन्धी कार्य भी चल रहा है।	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार	कुआना रेंज ढ़ोंगही बीट कम्पार्ट न0–3
	(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर	–

	क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	
	(3) रोपित की जान वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	–
	(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	5,04,282 (पॉच लाख चार हजार दो सौ बयासी रूपये मात्र)
	(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वार हस्ताक्षरित किया जाय)	क्षेत्र उपयुक्त है। प्रमाण–पत्र संलग्न हैं।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपरोक्ता कालम–7 (11, 12) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
	(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4448.00 वर्गमी0 (444800.00 हे0)
	(2) जिले का वन क्षेत्र	11702.233 हे0
	(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	32 मामले (145.3042 हे0)
	(4) 1980 से जिला/ प्रभाग मे निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	93.910 हे0 (वन व वनेत्तर)
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	54.468 हे0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	39.442 हे0
	(5) वर्तमान तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी	–
	(क) वन भूमि पर	42.468 हे0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	36.730 हे0
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	परियोजना महत्वपूर्ण है जनता के हित में प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा